

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2013—कार्तिक 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

फा. क्र. दो-12-11-मा.अधि.-2003-शुद्धिपत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 अगस्त 2013 क्रमांक 353 में प्रकाशित की गई मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 में संशोधन की अधिसूचना अंग्रेजी पाठ में, राजपत्र के पृष्ठ क्र. 706(9) पर सरल क्रमांक 4 के नीचे अंकित विनियम क्रमांक ‘24’ के स्थान पर ‘34’ पढ़ा जावे।

जस्टिस अभय म. नाईक, अध्यक्ष.